Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- ## राजस्थान ग्रामीण बैंक अयाना जिला कोटा का सहायक बैंक प्रबन्धक अतुल सिंह, चालीस हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 09 दिसम्बर, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुऐ **अतुल सिहं सहायक बैंक प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक अयाना जिला कोटा** को **चालीस हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा को दिनांक 09.10.2025 को परिवादी ने एक शिकायत इस आशय की पेश की कि उसके द्वारा राजस्थान ग्रामीण बैंक अयाना जिला कोटा मे भवन निर्माण हेतु ऋण के लिए आवेदन करने पर स्वीकृत राशि 24.50 लाख रूपये में से दिनांक 25.09.2025 को प्रथम किश्त के रूप में आठ लाख रूपये का भुगतान उसे प्राप्त हो गया था। द्वितीय किश्त की राशि आठ लाख रूपये के भुगतान हेतु सहायक बैंक प्रबन्धक, अतुल सिंह द्वारा उससे एक लाख रूपये की रिश्वत मांगी जा रही है। दिनांक 09.10.2025 को ही मांग सत्यापन करवाया गया जिसमें आरोपी द्वारा चालीस हजार रूपये रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई।

महानिरीक्षक पुलिस श्री सत्येन्द्र कुमार के निर्देशन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में आज दिनांक 09.12.2025 को **श्री अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक** एसीबी कोटा के दल द्वारा ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया गया। परिवादी से **40,000/— रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी अतुल सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीपी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।